न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल, एच.जे.एस. (UP-2408)
CNR No. -UPHP010046802026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1353 सन 2026

सुमित पुत्र बालकराम निवासी ग्राम नयागांव, थाना खरखौदा, जिला मेरठ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या 103 सन 2026
धारा–69 बी.एन.एस.
थाना हाफिजपुर, जिला हापुड़।

09.07.2026

1. अभियुक्त उपरोक्त, जो अपराध संख्या 103 सन् 2026 धारा–69 बी.एन.एस. थाना हाफिजपुर, जिला हापुड़ के संबंध में अभिरक्षा में है, की ओर से उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 06.06.2026 को थाना हाजा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी कि वह निवासी ग्राम नयागांव, थाना खरखौदा, जिला मेरठ की रहने वाली है। उसके पति की अब से करीब डेढ़ माह पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है, जिस कारण वह असहाय हो गयी। फिर कुछ दिन पश्चात उससे उसकी ससुराल का सुमित पुत्र बालकराम शादी करने के लिए कहने लगा, जिस पर उसने भरोसा कर लिया। फिर वाका दिनांक 22.05.2026 को सुमित पूजा को शादी करने का झांसा देते हुए सतवीर होटल में ले आया और होटल लाकर उसके साथ शारीरिक संबंध (बलत्कार) किया, परन्तु अब अपने वादे के अनुसार शादी करने को तैयार नहीं है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को उक्त मुकदमे में पुलिस ने झूठा फंसाया है, वह बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त ने किसी महिला को झूठा वचन देते हुए अनैतिक एवं अवैध संबंध नहीं बनाए है, अपतिू आवेदक/अभियुक्त को सोची समझी साजिश के तहत झूठा फंसाया गया है, जबकि आवेदक/अभियुक्त का उपरोक्त घटना से किसी प्रकार का कोई लेना–देना नहीं है। उक्त घटना 15 दिन की देरी से सोची समझी साजिश के तहत लिखायी गयी है, जबकि देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। वादिनी का पति मकान निर्माण ठेकेदारी पर लेता था तथा आवेदक/अभियुक्त करीब दो साल से वादिनी के पति के साथ मजदूरी का कार्य करता था, जिस पर आवेदक/अभियुक्त के 35,000/–रूपये बकाये थे, परन्तु दुर्भाग्यवश सड़क दुर्घटना में वादिनी के पति की मृत्यु हो गयी थी। आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी से अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो वादिनी ने अपने पढे लिखे भाई के साथ मिलकर उक्त झूठी घटना दर्ज करायी। वादिनी द्वारा पुलिस से साज करके आवेदक/अभियुक्त से मोटी रकम हड़पने के उद्देश्य से उक्त झूठा मुकदमा आवेदक/अभियुक्त पर लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता की परेशानी का फायदा उठाकर तथा शादी का झांसा देकर, उसे होटल में ले जाकर, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और बाद में शादी करने से इन्कार किया गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया।

5. जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता के तर्क एवं उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने तथा अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत केस डायरी का परिशीलन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने वादिनी मुकदमा/पीड़िता की परेशानी का फायदा उठाकर तथा शादी का झांसा देकर, उसे होटल में ले जाकर, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और बाद में शादी करने से इन्कार किया गया। वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में कथन किया है कि उसकी आयु 28 वर्ष है। उसके 11 साल पहले शादी हुई थी। उसके 4 बच्चे है। उसके पति सचिन का 23 अप्रैल, 2026 को एक्सीडेंट हो गया था। दिनांक 21 मई 2026 को सुमित से उसकी पहली बार बात हुई थी। उसने उसे अपना नम्बर पर्चे पर दिया था। उसने फिर शाम में उसे खुद फोन किया बात करने के लिए। फिर अगले दिन हम लोग तहसील के पास मिले तो उसे होटल ले गया और उनके बीच शारीरिक संबंध बने। उसने कहा था वो मुझसे शादी करेगा, पर 23 दिन पहले उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। पीड़िता ने अपने बयान में यह कथन किया है कि वह 28 वर्ष की महिला है और उसके चार बच्चे हैं तथा अभियुक्त से मिलने के एक दिन पश्चात ही उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। पीड़िता घटना से पूर्व शादीशुदा थी, जिसका पति का देहान्त हो गया था। आवेदक/अभियुक्त की उम्र मात्र 19 वर्ष दर्शायी गयी है। विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र तैयार किया जा चुका है और कोई साक्ष्य अंकित किया जाना शेष नहीं है तथा विचारण में समय लगना सम्भाव्य है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केस डायरी पर उपलब्ध पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने अपनी अन्दरूनी जांच कराने से इंकार किया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 07.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में एवं विचारण में समय लगने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत धनराशि पर जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 के प्रस्तर संख्या 46 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त को अंकन 1,00,000/– एक लाख रूपये की एक जमानत व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण पत्र की सत्य प्रति दाखिल की जायेगी।
3. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को संबंधित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और आरोपपत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर अविलंब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक 09.07.2026

प्रभारी, सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।